प्रेस नोट- थाना खुटार
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक-05.11.2026

थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खुटार के नेतृत्व में थाना खुटार पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.11.26 को वादी द्वारा थाना खुटार पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 387/26 धारा 103(1)/123/3(5)/118(1) बीएनएस बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र पर ही झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर एक राय होकर बेरहमी से धारधार हथियार आदि से मारपीट कर गाँव में बेइज्जत कर जबरन जहर पिला देना जिसकी वादी के पुत्र की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 05.11.26 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संजय शुक्ला पुत्र देवी सहाय, उम्र 54 वर्ष, नि0 ग्राम तुलापुर, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर को बाबा चौराहा मैलानी रोड थाना खुटार क्षेत्रान्तर्गत से समय 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

संजय शुक्ला पुत्र देवी सहाय, उम्र 54 वर्ष, नि0 ग्राम तुलापुर, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 387/26 धारा 103(1)/123/3(5)/118(1) बीएनएस, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 31/2016 धारा 323/395/504/506 भादवि, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 370/2019 धारा 323/504/506 भादवि, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 387/ 26 धारा 103(1)/123/3(5)/118(1) बीएनएस, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक,समय व स्थान

दिनांक 05.11.26 को समय 09.45 बजे, बाबा चौराहा मैलानी रोड थाना खुटार क्षेत्रान्तर्गत से।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 चन्द्रवीर सिंह
हे0का0 उपेन्द्र कुमार
का0 मनोज कुमार
का0 अंकित नारायण